



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244649
CG-DL-E-24032023-244649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1364]

No. 1364]

नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24 2023/CHAITRA 3, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का.आ. 1417(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग संख्या एस.ओ. 1364 (ई) दिनांक 10.06.2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अर्थात्:

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में, "विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बेंगलोर" शब्दों के स्थान पर, शब्द "विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कुनिगल, किमी 29.500 से किमी तक के विस्तार के लिए NH-48 (पुराना NH-4) का 75.00" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नोट : मुख्य अधिसूचना एस.ओ. 1364 (ई) दिनांक 10.06.2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार SLAO, हेब्ल बेंगलोर को SLAO कुनिगल को सौंप दिया जाएगा।

[फा. सं. एनएचआई/6लेन एनईएल-टीएमके/एलए/कर्नाटक/नोटिस/पीआईयू-चित्रदुर्ग/एनएच-48(पुराना एनएच-04]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O. 1417(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O. 1364(E) dated 10.06.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) namely:

In the preamble to the said notification, for the words “Special Land Acquisition Officer, National Highways Authority of India, Bangalore”, the words “Special Land Acquisition Officer, National Highways Authority of India, Kunigal, for the stretch from Km 29.500 to Km 75.00 of NH-48 (Old NH-4)” shall be substituted

Note: The principal notification was published vide S.O. 1364(E) dated 10.06.2010, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

As per the direction of State Govt. SLAO, Hebbalu Bangalore to Handed over to SLAO Kunigal.

[F. No. NHAI/6lane NEL-TMK/LA/Karnataka/Notif./PIU-Chitradurga/NH-48(Old NH-04]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.